

उपरुड आधिकारी बयान

सीमा 115 सरकार डाटा 188 R.T.A. की

मु.नं. ~~112/20~~ 112/20

हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुकूम

2020/ 80249

26/11/20

पीठासीन अधिकारी
नं.पा.0 सुनाव कार्यवाही

पत्रावली मू.नु.सं. दिनांक: 26/11/20 को पेश है

रा.उ.

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयान

17/12/2020 समाप्त आज स्वपं वादी द्वारा प्रस्तुत

प्राथमिक पत्र के आधार पर वादी

पेशी से सर्व प्रथम गैर वादी

सो नाराम शर्मा ने प्राथमिक पत्र पेश कर

सो नाराम शर्मा निवेदन किया है कि वादी द्वारा

किसी भी प्रकार का वाद को आगे नहीं

चलाना चाहता है। प्राथमिक

17-12-2020 पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा

सर्व प्रथम श्रेष्ठ रणनीति करने का

निवेदन किया है। हमने सुनवाई

को सुना। वादी को अपने वाद को

आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी की

पहचान श्री गणेश सिंह (पु.सं. नं. 115)

द्वारा वाद - वादी द्वारा प्रस्तुत

प्राथमिक पत्र के आधार पर वादी

सर्व प्रथम श्रेष्ठ रणनीति किया जाता है।

पत्रावली मु.नु.सं. क्रमांक 112/20

से कर दो वाद - तत्काल समाप्त

5/12/20

उपरुड अधिकारी
बयान (भरतपुर)

